GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 93
TO BE ANSWERED ON 13.02.2025

NATIONAL PENSION SCHEME FOR TRADERS AND SELF-EMPLOYED PERSONS

93. # DR. KALPANA SAINI:

Will the Minister of Labour and Employment be pleased to state:

(a) the total number of traders and self-employed individuals registered under National Pension Scheme so far;
(b) the manner in which the pension is provided to the family of the beneficiary under the said scheme in case of death of the beneficiary;
(c) whether any special provision has been made by Government for women traders and self-employed women; and
(d) if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT
(DR. MANSUKH MANDAVIYA)

(a) to (d): A Statement is laid on the Table of the House.

* *****

STATEMENT REFFERED TO IN REPLY TO PART (a) TO (d) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 93 FOR 13.02.2025 RAISED BY DR. KALPANA SAINI REGARDING NATIONAL PENSION SCHEME FOR TRADERS AND SELF-EMPLOYED PERONS.

(a) to (d): The National Pension Scheme for Traders and Self-Employed Persons was launched in September, 2019. This is a voluntary and contributory pension scheme for providing a monthly assured pension of Rs. 3000/- after attaining the age of 60 years to the retail traders/ shopkeepers and self-employed persons. The retail traders, shopkeepers and self-employed persons in the age group of 18-40 years with an annual turnover not exceeding Rs. 1.5 crore and not members of EPFO/ESIC/NPS (Govt. funded)/PM-SYM or not an income-tax payer, are eligible to join the scheme. The monthly contribution amount by beneficiary ranges from Rs. 55/- to Rs. 200/- depending upon the entry age of the beneficiary and equal matching contribution is paid by the Central Government. Enrolment to the scheme is done through the Common Service Centres, with its network of about 4 lakh Centres across the country. In addition, eligible people can also self-enroll through visiting the portal www.maandhan.in. Eligible women traders and self-employed women can also enroll and get benefits of the scheme.

The number of beneficiaries enrolled under this scheme as on 10.02.2025 are 59,144.

The subscriber of the scheme receives an assured pension of Rs. 3000/- per month after attaining the age of 60 years, and if the subscriber dies, the spouse of the beneficiary is entitled to receive 50% of the pension as family pension.

If a beneficiary has given regular contribution and died due to any cause before 60 years, his/her spouse will be entitled to continue the scheme subsequently by payment of regular contribution.

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 93

गुरूवार, 13 फरवरी, 2025 / 24 माघ, 1946 (शक)

व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना

***93. डॉ. कल्पना सैनी:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अब तक राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत पंजीकृत व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) किसी लाभार्थी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उक्त योजना के तहत उस लाभार्थी के परिवार को किस प्रकार पेंशन दी जाती है;

(ग) क्या सरकार द्वारा महिला व्यापारियों और स्व-नियोजित महिलाओं के लिए कोई विशेष प्रावधान किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*

*****

“व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना” के संबंध में डॉ. कल्पना सैनी द्वारा दिनांक 13.02.2025 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 93 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (घ): व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना सितंबर, 2019 में शुरू की गई थी। यह खुदरा व्यापारियों/ दुकानदारों और स्व-नियोजित व्यक्तियों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000/- रुपये की मासिक सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। 18-40 वर्ष की आयु के खुदरा व्यापारी, दुकानदार और स्व-नियोजित व्यक्ति, जिनका वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और जो ईपीएफओ/ ईएसआईसी/ एनपीएस (सरकारी वित्त पोषित)/ पीएम-एसवाईएम के सदस्य नहीं हैं या आयकर दाता नहीं हैं, वे इस योजना में शामिल होने के पात्र हैं। लाभार्थी द्वारा मासिक अंशदान राशि 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक होती है, जो लाभार्थी की प्रवेश आयु पर निर्भर करती है तथा केन्द्र सरकार द्वारा समान अंशदान का भुगतान किया जाता है। इस योजना में नामांकन सामान्य सेवा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है, जिनका देश भर में लगभग 4 लाख केन्द्रों का नेटवर्क है। इसके अलावा, पात्र व्यक्ति www.maandhan.in पोर्टल पर जाकर भी स्वयं नामांकन करा सकते हैं। पात्र महिला व्यापारी और स्व-नियोजित महिलाएं भी नामांकन कराकर इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।

दिनांक 10.02.2025 तक की स्थिति के अनुसार इस योजना के अंतर्गत नामांकित लाभार्थियों की संख्या 59,144 है।

इस योजना के अभिदाता को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000/- रुपये प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन मिलती है, और यदि अभिदाता की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी के पति या पत्नी पारिवारिक पेंशन के रूप में पेंशन का 50% प्राप्त करने का हकदार है।

यदि किसी लाभार्थी ने नियमित अंशदान दिया है और किसी कारणवश 60 वर्ष की आयु से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका पति/ उसकी पत्नी नियमित अंशदान का भुगतान करके योजना को जारी रखने का हकदार होगा/ होगी।

*****

डा. कल्पना सैनीः माननीय उपसभापति जी, मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार इस योजना की जागरूकता बढ़ाने और डिजिटल प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कोई विशेष अभियान चला रही है? विशेष रूप से, महिला व्यापारियों और स्वरोजगार करने वाली महिलाओं के लिए क्या कोई विशेष प्रोत्साहन योजना है?

डा. मनसुख मांडविया: उपसभापति जी, मोदी सरकार ने देश के मध्यम वर्ग और गरीब लोगों को पिछली लाइफ में सिक्योरिटी मिले, खासकर, उनको पेंशन सिक्योरिटी मिले, एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिले, हेल्थ सिक्योरिटी मिले और फूड सिक्योरिटी मिले, इसके लिए अथक प्रयास किया है। इस प्रयास का परिणाम यह है कि आज देश में 920 मिलियन, यानी 92 करोड़ लोग, यानी देश की कुल पॉपुलेशन की 65% पॉपुलेशन को इनमें से एक या एक से अधिक सिक्योरिटी मिली है। सामान्यतः वर्ष 1999 से तीन प्रकार की योजनाएं चालू की गई थीं। उनमें से "प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना" और छोटे व्यापारियों के लिए प्रधानमंत्री सहाय योजना का लाभ देश के छोटे व्यापारियों एवं छोटे तबके के लोगों को मिलता है।

देश में आज तक कुल मिलाकर 7 लाख लोगों ने इस योजना में हिस्सा लिया है। महोदय, इस योजना में प्रावधान है कि 18 से 40 वर्ष की आयु तक कोई व्यक्ति जितना contribution करता है, उतना ही contribution सरकार की ओर से किया जाता है और उस व्यक्ति को 60 वर्ष की उम्र के बाद 3,000 रुपये की assured pension दी जाती है। आज छोटे लोगों के लिए, छोटा काम करने वाले लोगों के लिए बहुत उपयोगी होती है। यह योजना पूरे देश में लागू है और उसका अच्छी तरह से implementation करने के लिए हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ discussion करते हैं। सभी स्टेट्स में और ग्रामीण स्तर पर National Career Service Portal का भी उपयोग करते हैं, ताकि उसका लाभ लोगों को मिले। कोई भी व्यक्ति या कोई organization अपने यहां काम करने वालो लोगों को या व्यापारियों को website पर जाकर अपना contribution दे सकते हैं, ताकि जनता ज्यादा से ज्यादा लाभ उससे ले सके।

डा. कल्पना सैनीः क्या सरकार इस योजना की पहुंच बढ़ाने के लिए हैल्पलाइन, शिविर, प्रशिक्षण कार्यक्रम या अन्य कोई विशेष पहल करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है?

डा. मनसुख मांडविया: महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसमें योजना का expansion, इस योजना से लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके और इसकी पहुंच बढ़े, इसके लिए कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए, जाते हैं, digitally awareness का कार्यक्रम भी चलाते हैं और अलग-अलग तरह के विज्ञापन से भी इस योजना का प्रचार-प्रसार करते हैं, ताकि लोग इस योजना के साथ जुड़ कर उसका अधिक से अधिक लाभ ले सकें।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Third Supplementary. Shri Ramji Lal Suman; not present. Dr. Ashok Kumar Mittal; not present. Shrimati Sulata Deo; not present. Dr. V.

Sivadasan; not present. So, the third Supplementary goes to Shrimati Mamata Mohanta.

श्रीमती ममता मोहंता: माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान सरकार ने हर वर्ग के विकास के लिए तरह-तरह की योजनाएं बनाई हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी हर वर्ग और हर समाज के लोगों के विकास के लिए चिंतित रहते हैं। क्या 'राष्ट्रीय पेंशन स्कीम' में बुज़ुर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कोई व्यवस्था की गई है और ओडिशा राज्य में इस 'राष्ट्रीय पेंशन स्कीम' को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

डा. मनसुख मांडविया: महोदय, माननीय सदस्या ने पेंशन स्कीम के विस्तार और ओडिशा में भी उसका लाभ मिल सके, इस बारे में प्रश्न किया है, तो मैं बताना चाहता हूं कि पेंशन स्कीम और अलग-अलग तरह की स्कीम्स, जो लोगों को सोशल सिक्योरिटी देती हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने पहली बार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देकर food security प्रदान की है। माननीय उपसभापति जी, बीमारी कभी किसी को पूछ कर नहीं आती है। वह गरीब के यहां भी आती है और अमीर के यहां भी आती है। जब किसी अमीर के यहां कोई बीमारी आती है, तो उस अमीर व्यक्ति की जेब में पैसा होता है, वह अपना इलाज करवा लेता है, लेकिन जब किसी गरीब व्यक्ति के यहां बीमारी आती है, तब उसको बहुत दिक्कत होती है, उसके पास इलाज पैसे नहीं होते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने कहा था कि देश में किसी भी गरीब परिवार में दवाई के अभाव में और बिना ट्रीटमेंट के किसी की मृत्यु हो जाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। उनके लिए 'आयुष्मान भारत' योजना लाई गई, जो health security है। आज देश में 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की गारंटी दी गई है। पिछले ही बजट में announce हुआ कि 70 वर्ष के अधिक उम्र वाले सभी बुज़ुर्ग लोगों को भी 'आयुष्मान भारत' योजना के अंतर्गत लाया गया और इस वर्तमान बजट में भी announcement किया गया कि जो Gig workers है, जो aggregators के under काम करते हैं, उन लोगों को भी 'आयुष्मान भारत' योजना में लाया जाएगा। कुल मिलाकर 65 करोड़ लोगों को लिए एक तरह की health security मिल जाएगी। इसके अलावा बुज़ुर्ग और disable लोगों को social security और पेंशन देने के लिए भी व्यवस्था है। ऐसे लोगों के लिए National Widow Pension Scheme और National Old Age Pension Scheme चल रही हैं। आज मुझे यहां बताते हुए खुशी हो रही है कि केवल एक दशक पहले सेंट्रल गवर्नमेंट लोगों को सोशल सिक्योरिटी दी गई थी, जो pensionable हों।

आज मोदी गवर्नमेंट ने 48 परसेंट लोगों को, जिसको कोई न कोई कैश के रूप में सोशल सिक्योरिटी मिलती है, उसका प्रावधान किया है। उसमें हम स्टेट को इन्क्लूड नहीं करते हैं। कई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी कई तरह की सोशल सिक्योरिटी दी गई है। उसमें फूड सिक्योरिटी include नहीं है। यदि फूड सिक्योरिटी include हो जाती, तो देश में 48 में से 65 परसेंट लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रदान करने वाला कोई देश है, तो उस देश का नाम भारत है, जो इतने बड़े देश में 92 मिलियन, 92 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रदान कर रहा है।

श्री उपसभापतिः अगला सप्लीमेंटरी, डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे।

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडेः उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह स्कीम व्यापारियों के लिए, self employed लोगों के लिए बहुत अच्छी है, जिनको 18 से 40 तक उनको पैसे भरने पड़ते हैं और 60 के बाद पेंशन मिलती है, लेकिन कभी-कभी ऐसी घटनाएं होती हैं कि यदि उसकी मृत्यु 60 से पहले हुई, तो जो भरे हुए पैसे हैं, क्या उनके पैसे रिटर्न होते हैं? दूसरी बात यह है कि क्या स्पाउस और जो माइनर चिल्ड्रन हैं, उनको पेंशन का लाभ एडल्ट होने तक मिलता है?

डा. मनसुख मांडवियाः उपसभापति जी, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। एनपीएस ट्रेड्र्स, जो छोटे-मोटे कारोबारी हैं और ये पेंशन में इन्क्लूड हैं, उनका स्पेसिफिक क्वेश्चन यह है कि यदि उसकी मृत्यु 60 से पहले हो गई, तो उसका क्या होगा? यदि उसकी 60 साल से पहले मृत्यु हो जाती है, तो विद इन्ट्रस्ट उसको पैसा मिल सकता है। उसके spouse को 50 परसेंट पेंशन मिल सकती है और शायद कई बार दस साल के बाद उससे विदड्रॉ हो जाना चाहते हैं, तो विदड्रॉ होने की सुविधा उसमें मिलती है। उसमें बैंक के साथ इंटरेस्ट के साथ विदड्रॉ हो सकते हैं। एकदम flexible scheme है। इस स्कीम का ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ लें, इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं, ताकि पिछली लाइफ में उसको सोशल सिक्योरिटी मिले। यदि 60 साल के बाद वे रिटायर हो गए हों, छोटे लोग हों, तो तीन हजार रुपये उसके जीवन का आधार बन सके, इस उद्देश्य के साथ प्रधान मंत्री जी इस योजना को लेकर आए थे और आज 60 लाख से अधिक लोग उसका लाभ ले चुके हैं। इस योजना का लाभ और ज्यादा लोग ले सकें, उसके लिए हम प्रयास करेंगे।

श्री उपसभापतिः लास्ट सप्लीमेंटरी, डा. सिकंदर कुमार।

DR. SIKANDER KUMAR: Sir, with your permission, I would like to know this from the hon. Minister. How can an individual register himself in the National Pension Scheme? And how many individuals have registered under the National Pension Scheme in our country?

डा. मनसुख मांडवियाः उपसभापति जी, नेशनल पेंशन स्कीम कई टाइप्स की हैं। हर टाइप की स्कीम में अलग-अलग लाभार्थी हैं। प्रधान मंत्री जी ने श्रमिक लोग, छोटे मजदूर लोग, जो अभी स्पेसिफिक एनपीएस केडर का प्रश्न था, उसका विवरण किया। वैसे ही प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना है। ये छोटे और गरीब तबके के लोग, जो कहीं न कहीं इनफ़ॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, ऐसे लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिले, उनके लिए भी प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना चल रही है। इस योजना में आज तक 45 लाख से अधिक लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और उसमें भी उसको 60 साल के बाद तीन हजार रुपये पेंशन मिलती है। उसमें एक अच्छी व्यवस्था है कि यदि वे किसी के घर पर काम करते हैं, तो उनके बिहाफ पर वे भी उसमें पेंशन जमा करा दें ।

किसी aggregators के यहां काम करते हैं, तो वे भी वहां पर पैसा जमा करा सकते हैं। यदि कोई कंपनी है और वहां कोई सफाई करने वाला है या कोई और काम करता है, उसके बिहाफ पर कंपनी भी उसका कंट्रीब्यूशन दे दे या स्वयं कंट्रीब्यूशन दे दे, तो जितना पैसा लाभार्थी जमा करते हैं, इतना ही पैसा मोदी गवर्नमेंट की ओर से दिया जाता है, तो उससे भी ऐसे लोगों को 60 साल के बाद सोशल सिक्योरिटी मिलती है, उसको भी तीन हजार रुपये पेंशन मिलती है, वैसे ही ईपीएफओ में जो enrolment होती है, उसके भी लाभार्थी हैं, उनको ऑलरेडी पेंशन मिल रही है। महोदय, ऐसे लोगों की संख्या 78 हज़ार से 80 लाख के आगे, पीछे है।

महोदय, जैसे यह योजना है, वैसे ही अटल पेंशन योजना है। यह योजना भी सभी के लिए ओपन है। महोदय, अटल पेंशन योजना में भी आज तक 5.95 करोड़ लोग अटल पेंशन योजना से जुड़े हुए हैं। उपसभापति जी, अटल पेंशन योजना में 3 हज़ार रुपये से लेकर 5 हज़ार रुपये तक की पेंशन की सिक्युरिटी देते हैं। इस योजना में उसे अलग-अलग एज़ में, अलग-अलग कंट्रीब्यूशन देना होता है। महोदय, जितना इसमें जितना कंट्रीब्यूशन लाभार्थी देगा, उतने ही कंट्रीब्यूशन की भारत सरकार की ओर से मदद दी जाती है। महोदय, कुल मिलाकर इन सभी योजनाओं में - यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को छोड़ दें, तो मोटे तौर पर 5 करोड़ से अधिक लोग, जिनको साठ साल के बाद पेंशन मिले, इस प्रकार की व्यवस्था आज के दिन उपलब्ध हो चुकी है और भविष्य में उसे कंप्रिहेंसिव रूप में, एक एम्ब्रेला के नीचे सारी स्कीम्स का टोटल लाभ मिले, और लोग भी उससे जुड़ें, अपनी पिछली लाइफ को सेक्योर करें – सरकार इस दिशा में काम कर रही है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Question No. 94; Shri Digvijaya Singh; not present. Now, supplementaries.